भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *180

उत्तर देने की तारीख : 31.07.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण सहायता

***180. श्री ए. राजा:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण की सुविधा बढ़ाने के लिए किसी नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बजट में घोषणा के पश्चात विगत तीन महीनों के दौरान 5 लाख रुपए तक की ऋण सीमा वाले कितने व्यापार क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पर्याप्त ऋण सहायता सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एमएसएमई यूनिट धारकों को संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए कोई राजसहायता योजना शुरू की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

"एमएसएमई को क्रेडिट सहायता" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 180*, जिसका उत्तर दिनांक 31.07.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ) : एमएसएमई के लिए क्रेडिट तक पहुंच का विस्तार करने के लिए, सरकार ने बजट 2025 में निम्नलिखित नीतिगत उपायों की घोषणा की है:

i. एमएसएमई मंत्रालय की क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसे दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी बनाया गया है। इस स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान एमएसई को 91,273 करोड़ रुपए राशि की कुल 5.53 लाख गारंटियां प्रदान की गई है।

ii. सरकार ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ समायोजित क्रेडिट कार्ड के प्रावधान की घोषणा की। जैसाकि वित्तीय सेवाएं विभाग ने सूचित किया है, बजट में की गई घोषणाओं का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है।

एमएसएमई के लिए क्रेडिट तक पहुंच को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण संबंधी दिशानिर्देश:** दिनांक 24 मार्च, 2025 के 'प्राथमिकाता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल)-लक्ष्य और वर्गीकरण' पर प्रमुख निर्देशों के संबंध में, एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण, जो निर्धारित शर्तों के अनुरूप हों, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

ii. **एमएसएमई इकाइयों की कोलेटरल आवश्कताएं:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामले में कोलेटरल प्रतिभूति न मांगने का आदेश दिया गया है।

iii. **कार्यशील पूंजी गणना:** एमएसई इकाइयों की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की गणना बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा के लिए इकाई के अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20% की सरलीकृत पद्धति के आधार पर की जाएगी।

iv. **ऋण निर्णयों के लिए समय-सीमा:** एमएसई ऋणकर्ताओं की इकाइयों को 25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि ऋण निर्णयों के लिए समय-सीमा 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगी।

v. **व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स):** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ट्रेड्स की स्थापना और इसके संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह स्कीम, कई वित्तपोषकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है। आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त पांच संस्थाएं वर्तमान में ट्रेड्स का संचालन कर रही हैं।

vi. सरकार द्वारा **पारस्परिक ऋण गारंटी स्कीम** (एमसीजीएस-एमएसएमई) की शुरूआत की थी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त करने में सहायता करना है, विशेष रूप से उन परियोजनाओं के लिए जिनमें 100 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए आवश्यक उपकरण और मशीनरी की खरीद शामिल है।

(च) और (छ) : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) के विशेष क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम घटक के अंतर्गत, सभी विनिर्माणकारी क्षेत्रों और सेवा क्षेत्रों के लिए सावधि ऋण के माध्यम से नए संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण खरीदने के लिए अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई को 25% सब्सिडी (25 लाख रुपए तक) प्रदान की जाती है। अक्टूबर, 2016 में स्कीम की शुरूआत से लेकर दिनांक 28.07.2025 तक, 2,841 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 321.88 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

*****